न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री परशुराम धानका (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 08/2018
जीसीएमएस संख्या :– 2018/00030

उनवान

1. भरत सिंह
2. अशोक
3. जयवीर सिंह

} पिस0 श्री राधे जाति गूजर निवासी पान्हौरी तहसील डीग जिला भरतपुर।

4. सुरजीत पुत्र श्री बिसराम जाति गूजर निवासी पान्हौरी नाबालिग वविलायत राधे गूजर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, भरतपुर।
2. तहसीलदार, तहसील डीग।

.....रैस्पोडेण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज0)

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2007 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) डीग मु0सं0 284/2013 वउनवानी भरत सिंह आदि बनाम सरकार।

उपस्थित :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री सुरेश चन्द गुप्ता उपस्थित।
2. राजकीय पैरोकार अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 26.04.2023

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) डीग के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.12.2007 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88–89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 206 रकवा 2.05 है0 वाके ग्राम पान्हौरी प्रथम तहसील डीग में स्थित है, जिस पर

राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज.)

वादीगण/अपीलाण्ट का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। विवादित आराजी पूर्व में वादीगण/अपीलाण्ट के नाना रूप सिंह पुत्र श्री गोकुल के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी थी। वर्तमान में अपीलाण्ट के नाना श्री रूप सिंह की मृत्यु हो चुकी है और उक्त समस्त आराजी, श्री रूप सिंह पुत्र श्री गोकुल की मृत्यु के बाद अपीलाण्ट के नाम हो गयी, तभी से वादीगण/अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। परन्तु बन्दोबस्त विभाग ने गत आराजी खसरा नम्बर से नवीन आराजी खसरा नम्बर 1206 रकवा 2.05 है0 वाके ग्राम पान्हौरी प्रथम में से आराजी खसरा नम्बर 1206/1 रकवा 48 एयर राज्य सरकार के नाम दर्ज कर दिया एवं आराजी खसरा नम्बर 1206/2 रकवा 1.55 है0 को वादीगण/अपीलाण्ट के नाम दर्ज कर दिया जो मौका व रिकार्ड के खिलाफ है। अतः वादीगण/अपीलाण्ट ने वाद प्रस्तुत कर 1206/1 रकवा 48 एयर पर हो रहे राज्य सरकार के नाम को कलमजन कर वादीगण/अपीलाण्ट को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलव किया गया। बार–बार आवाज दिलवाये जाने के बाबजूद भी राजकीय अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। अतः बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुये जुबानी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य का कोई अवलोकन नहीं किया। आराजी साविक खसरा नम्बर 217, 218, 219 से बन्दोबस्त विभाग ने जो हाल खसरा नम्बर 1206 रकवा 2.05 है0 बनाया है। वह अपीलाण्ट के नाना रूप सिंह पुत्र श्री गोकुल का था। अपीलाण्ट के नाना रूप सिंह के कोई लडका ना होने के कारण वसीयत अपीलाण्ट के पक्ष में कर दी। अपीलाण्ट ने हस्तगत अपील में प्रार्थना पत्र 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी के तहत जो जमाबंदियॉ पेश की हैं। उसमें रूप सिंह पुत्र श्री गोकुल हाल आराजी खसरा नम्बर 2.03 है0 का खातेदार दर्ज है और पंजाब नेशनल बैंक में भी इसी मुताबिक जमाबन्दी संवत 2045 लगायत 2048 में बंधक किया हुआ है। रेलवे विभाग द्वारा जो आराजी अवाप्त की गयी थी। उसका दाखिल खारिज संख्या 371 पेश हुआ है एवं मुआवजा भी मिला है। इस प्रकार अपीलाण्ट ने बखूबी सावित किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1206/1 रकवा 48 एयर वाके ग्राम पान्हौरी अपीलाण्ट की ही खातेदारी का है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने अपनी दस्तावेजी साक्ष्य में सभी जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल, साविक जमाबन्दी, रेलवे विभाग के भूमि अवाप्ति के दस्तावेज आदि सभी प्रदर्श कराये हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी दस्तावेजो की कोई विवेचना अपीलाधीन आदेश में नहीं की जाकर, मनमाने तौर पर वादीगण/अपीलाण्ट का दावा खारिज करने की भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा भी अपने पक्ष में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की हैं एव ना ही जवाव दावा ही पेश किया है। बन्दोबस्त विभाग को इस प्रकार के इंद्राज परिवर्तन के कोई अधिकार हासिल नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुये, अपीलाण्ट को विवादित आराजी खसरा नम्बर 1206/1 रकवा 48 एयर का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज.)

4. हमने विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर गौर करने पर पाया कि प्रदर्श–3 मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध विभाग संवत 2041 से स्पष्ट है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1206 रकवा 2.05 है0 साविक आराजी खसरा नम्बर 217 रकवा 2–05 बीघा, खसरा नम्बर 218 रकवा 6 बीघा एवं खसरा नम्बर 219 रकवा 2–19 बीघा वाके ग्राम पान्हौरी से बना है। जमाबन्दी संवत 2009 से 2012 प्रदर्श–11 में पाया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 217, 218 व 219 वाके ग्राम पान्हौरी पर कृषक के कॉलम संख्या 04 में "रूप सिंह वल्द गोकल कौम गूजर" का नाम अंकित है। प्रदर्श–4 जमाबन्दी संवत 2049–2052 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि आराजी खसरा नम्बर 1206 रकवा 2.03 है0 वाके ग्राम पान्हौरी पर कृषक के कॉलम संख्या 04 में रूप सिंह वल्द गोकल कौम गूजर साकिन देह खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा जनूथर मुर्तरहन अंकित पाया जाता है। प्रदर्श–5 जमाबन्दी संवत 2045–2048 में आराजी खसरा नम्बर 1206 रकवा 2.05 है0 वाके ग्राम पान्हौरी पर रूप सिंह पुत्र गोकल कौम गूजर सा0 देह खातेदार का नाम ही कृषक के कॉलम में दर्ज पाया जाता है। प्रदर्श–6 नामांतकरण संख्या 371 वाके ग्राम पान्हौरी में पाया जाता है कि मुताबिक आदेश खसरा नम्बर 1206 रकवा 2.05 है0 में से 0.02 है0 भूमि रूप सिंह पुत्र गोकल कौम गूजर सा0 देह खातेदार से रेलवे विभाग के नाम जरिये नामान्तकरण स्वीकृत हुयी थी। प्रदर्श–7 जमाबन्दी संवत 2049–52 वाके ग्राम पान्हौरी में आराजी खसरा नम्बर 1206 मिन रकवा 0.02 है0 महकमा रेलवे विभाग के नाम अंकित है। जमाबन्दी संवत 2053–56 का अवलोकन करने पर पाया कि आराजी खसरा नम्बर 1206 मिन रकवा 2.03 है0 वाके ग्राम पान्हौरी के बारे में कृषक के कालम में भरत सिंह, विसराम, जयवीर पिसरान राधे नाबालिग वली सरपरस्त राधे पिता खुद व हिस्सा बराबर सा0देह खातेदार दर्ज पाया जाता है और साथ ही इन्तकाल नम्बर 434 वसीयतनामा का भी उल्लेख है। जमाबन्दी संवत 2057 से 2060 में आराजी खसरा नम्बर 1206 मिन रकवा 0.48 है0 वाके ग्राम पान्हौरी के बारे में काश्तकार के कालम संख्या 04 में राजकीय भूमि का खाता भूमि जो कृषि के लिये उपलब्ध हैं तथा कॉलम संख्या 07 में डहरी दोयम अंकित पाया जाता है। जमाबन्दी संवत 2057–2060 वाके ग्राम पान्हौरी –प्रथम में आराजी खसरा नम्बर 1206 मिन रकवा 1.55 है0 के बारे में कृषक के कॉलम में भरत सिंह, विसराम, जयवीर पिसरान राधे नाबालिग वली सरपरस्त राधे पिता खुद व हिस्सा बराबर कौम गूजर सा0 देह खातेदार दर्ज पाया जाता है। इस प्रकार जमाबन्दी संवत 2053–56 में जहॉ वादीगण/अपीलाण्ट के नाम 2.03 है0 रकवा खातेदारी में था वो संवत 2057–2060 की जमाबन्दी में 1.55 है0 ही दर्शाया हुआ है और उसके बाद के राजस्व रिकार्ड अर्थात जमाबंदीयात में आराजी खसरा नम्बर 1206 मिन को 1206/2 के रूप में परिवर्तित कर रकवा 1.55 है0 ही वादीगण/अपीलाण्ट के नाम दर्ज होता आ रहा है और साथ ही 1206 मिन रकवा 0.48 है0 को 1206/1 के रूप में परिवर्तित कर रकवा 0.48 है0 राजकीय भूमि के रूप में दर्ज होता आ रहा है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से यह बखूबी साबित होता है कि विवादित साविक आराजी रकवा 2.05 है0 वादीगण/अपीलाण्ट के नाना रूप सिंह वल्द गोकल जाति गूजर के नाम थी। जिसमें से 0.02 है0 भूमि विधिवत रूप से जरिये नामान्तकरण रेलवे विभाग के नाम दर्ज हुयी तथा शेष भूमि 2.03 है0 के दो मिन नम्बर कायम कर उसमें खसरा नम्बर 1206 मिन रकवा 1.55 है0 वादीगण/अपीलाण्ट के नाना रूप सिंह के नाम तथा खसरा नम्बर 1206 मिन रकवा 0.48 है0 राजकीय खाता में दर्ज कर दी गयी। इस प्रकार राजस्व कर्मियों को आराजी खसरा नम्बर 1206 के 02 मिन नंबर कायम करने का बिना किसी अधिकार या सक्षम आदेश के कोई अधिकार नहीं था। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालयों ने समय–समय पर बहुत से निर्णयों में प्रतिपादित भी किया

राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज.)

गया है कि सैटलमेंट विभाग को राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियों को बिना किसी आधार के परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। मौजूदा प्रकरण में सैटलमेंट विभाग द्वारा किये गये खातेदारी इन्द्राज परिवर्तन विधि विरूद्ध पाये जाते हैं। केवल खातेदारी भूमि पर पानी भर जाने मात्र से उसे राजकीय भूमि दर्ज किया जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह बखूबी साबित पाया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 1206 रकबा 2.03 है0 वादीगण/अपीलाण्ट के नाना रूप सिंह के ही खातेदारी की भूमि थी और उसके दो भाग कर 1206 मिन रकबा 1.55 है0 व 1206 मिन 0.48 है0 बनाकर इसमें से 0.48 है0 वाले मिन नम्बर को राजकीय खाते में दर्ज करना सरासर गलत व विधि विरूद्ध था। इस प्रकार विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दलीलो एवं नजीरो से हम सहमत हैं और अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) डीग के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.12.2017 अपास्त किया जाता है एवं वाद पत्र में वर्णित वादीगण/अपीलाण्ट को वर्तमान राजस्व रिकार्ड के इन्द्राजात को दुरूस्त कर आराजी खसरा नम्बर 1206/1 रकबा 0.48 है0 वाके ग्राम पान्हौरी प्रथम तहसील डीग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

6. निर्णय आज दिनांक 26.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर
राजस्व अपील अधिका
भरतपुर (राज.)

डिकरी व सीगे अपील
(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीबानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर मुकाम भरतपुर
व इजलास श्री परशुराम धानका (आर0ए0एस0)

अपील संख्या 08/2018(223 आर.टी.एक्ट)
आर.सी.एम.एस.नम्बर– 2018/00030
उनवानी :–

1. भरत सिंह
2. अशोक
3. जयवीर सिंह

} पिस0 श्री राधे जाति गूजर निवासी गॉव पान्हौरी तहसील डीग जिला भरतपुर।

4. सुरजीत पुत्र श्री विसराम जाति गूजर निवासी गॉव पान्हौरी नाबालिग वविलायत राधे गूजर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, भरतपुर।
2. तहसीलदार, तहसील डीग।

..... रैस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 08.12.2017 प्रकरण संख्या 284/2013 उनवान भरत सिंह आदि बनाम राज0 सरकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) डीग।

यह अपील .....26.....माह.....04.....सन्.....2023.....व हमारे .....श्री सुरेश चन्द गुप्ता एड. ..... मिनजानिब अपीलाण्ट , रैस्पोडेण्ट अनुपस्थित समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है कि... **अपील अपीलण्ट स्वीकार की जाती है।** अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) डीग के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.12.2017 अपास्त किया जाता हैं एवं वाद पत्र में वर्णित वादीगण/ अपीलाण्ट को वर्तमान राजस्व रिकार्ड के इन्द्राजात को दुरूस्त कर आराजी खसरा नम्बर 1206/1 रकवा 0.48 है0 वाके ग्राम पान्हौरी प्रथम तहसील डीग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
(खर्चा अपील.....का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग.....) रूपये.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का.....अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....26.....माह.....04.....सन्.....2023.....को जारी की गई।

(परशुराम धानका)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।